उत्तर प्रदेश शासन

गृह (गोपन) अनुभाग-3

संख्याः 4/I/488257/सी0 एक्स 0-3

लखनऊः दिनोंक 31 जनवरी, 2024

<u>अधिसूचना</u>

चूंकि नीचे अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि ऐसा स्थान है, जिसका प्रयोग फूलपुर से हल्दिया पाइपलाइन तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों द्वारा सी० एन० जी० स्टेशन को गैस की आपूर्ति के लिए किया जाता है;

और चूंकि उससे सम्बन्धित या उसके नष्ट होने या उसमें रूकावट या विघ्न पड़ने की सूचना से शत्रु को लाभ पहुँचेगा :

और चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 258 के खण्ड (1) के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने, भारत के गजट, असाधारण दिनोंक 11 मई, 1963 के भाग दो की धारा 3 की उपधारा (दो) में प्रकाशित अपनी अधिसूचना संख्या-एस ० ओ 0 1285 दिनाँक 04 मई, 1963 द्वारा शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (ग) तथा (घ) में विनिर्दिष्ट किसी मामले के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के कृत्यों को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को न्यस्त किया है;

अतएव, अब, गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-एस0ओ0-1285, दिनाँक 04 मई, 1963 के साथ पठित शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 [अधिनियम संख्या 19 सन् 1923) की धारा 2 के खण्ड (8) के उपखण्ड (घ) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में नामित और सविस्तार वर्णित भू-गृहादि को पूर्वोक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती है और राज्यपाल अग्रतर यह निदेश देती हैं कि इस अधिसूचना की एक प्रति अंग्रेजी में और उस स्थान की जनभाषा में उक्त भू-गृहादि पर लगायी जायेगी।

<u>अनुसूची</u>

प्रतिषिद्ध स्थान का नाम और विनिर्देश	
एस 0 वी0-08, ग्राम-नागनपुर, तहसील-सकलडीहा, जिला-चन्दौली, उत्तर प्रदेश	
पूर्व में-	सड़क (पिच रोड)।
पश्चिम मे	गाटा संख्या-158 शेष रकबा रविन्द्र ।
उत्तर में	गाला संख्या-158 शेष रकबा रविन्द्र ।
दक्षिण में-	गाटा संख्या-161 राधेश्याम इत्यादि ।

आज्ञा से,

ह0/

(ए0 वी0 राजामौलि)

सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

UTTAR PRADESH SHASAN
GOPAN ANUBHAG-3

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no.4/488254 /2023-CX-3, dated January 31 , 2024 for general information.

NOTIFICATION

No. 4/I/488254 /2023-CX-3

Lucknow: Dated January 31 , 2024

WHEREAS the premises named, detailed and described in the Schedule below is a place used for supplying gas to CNG station by natural gas pipelines from Phulpur to Haldia pipeline ;

AND WHEREAS an information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy ;

AND WHEREAS in pursuance of clause (1) of Article 258 of the Constitution of India, the Ministry of Home Affairs, Government of India has vide Notification no. S.O.1285 dated 4th May, 1963, published in Part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary dated 11th May, 1963, entrusted the functions of the Central Government to the State Government of Uttar Pradesh in relation to any matter specified in sub-clauses (c) and (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (Act no.19 of 1923) ;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-clause (d) of clause (8) of section 2 of the Official Secrets Act, 1923 {Act no.19 of 1923}, read with Government of India, Ministry of Home Affairs Notification no. S.O.1285, dated 04 May, 1963 the Governor is pleased to declare the premises named, detailed and described in the Schedule given below to be a **"prohibited place"** for the purposes of the aforesaid Act and the Governor is further pleased to direct that a copy of this notification in English and in the vernacular of the locality be affixed to the said premises.

SCHEDULE

Name and specifications of the Prohibited Place.	
S.V.-08, Village-Naganpur,Tehsil-Sakaldiha, District-Chandauli, Uttar Pradesh	
In East-	Road (Pitch Road)
In West-	Partial part of Gata No.158 Ravindra
In North-	Partial part of Gata No.158 Ravindra
In South-	Gata No.161 Radheshyam etc.

By order,

Sd/-
(**A.V. Rajamauli**)
Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।